परिपत्र संख्या 7/11

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(108)जन/डीडराइटर्स/11/ 10836 दिनांकः 26-4-2011

परिपत्र

विषयः स्टाम्प वैण्डर द्वारा उल्लेखित स्टाम्पस क्रय से संबंधित विवरण की जांच व उसका दस्तावेज में अंकन तथा डीड राइटर्स के द्वारा अनुज्ञा-पत्र संख्या/प्राप्त फीस आदि की सूचना का दस्तावेज में अंकन करना।

1.0 राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 3, 4, 12 तथा 1947 में स्टाम्प सप्लाई, विक्रय, स्टाम्प पर देय कमीशन, स्टाम्प विक्रय हेतु लाईसेंस तथा फैकिंग मशीन के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 9/10 दिनांक 12.4.10, 10/10 दिनांक 19.4.10, 12/10 दिनांक 23.4.10 एवं पंजीयन मार्गदर्शिका 2009 के परिपत्र क्रमांक 20/09 में इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किये हुए हैं।

परिपत्र क्रमांक 12/10 दिनांक 23.4.10 में स्टाम्प वैण्डर द्वारा जो स्टाम्प बेचे जाते हैं उसके पीछे किये जाने वाले पृष्ठांकन के संबंध में लगाई जाने वाली सील (मोहर) में दिये जाने वाले विवरण को स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार मुद्रांक विक्रेता का नाम, अनुज्ञा-पत्र संख्या विक्रय रजिस्टर का क्रमांक एवं दिनांक, मुद्रांक की कीमत व क्रम संख्या, मुद्रांक क्रेता का नाम एवं पता, मुद्रांक क्रय किये जाने का प्रयोजन एवं किसके द्वारा मुद्रांक क्रय किया जा रहा है उसका नाम एवं उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर किये जाने हैं को स्पष्ट किया गया है।

1.1 यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा उपरोक्त निर्देशों के तहत सम्पूर्ण विवरण अब भी स्टाम्प विक्रय करते समय स्टाम्प की पुश्त पर अंकित नहीं किया जा रहा है।

1.2 अतः इस संबंध में सभी उप पंजीयकों को निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर स्टाम्प विषयक जांच करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित स्टाम्प विक्रेता द्वारा स्टाम्प के पृष्ठ भाग में उपरोक्त समस्त सूचनायें अंकित हैं।

इस संबंध में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि दस्तावेज के अंत में भी यह उल्लेख करवाया जावे कि सम्पत्ति विक्रेता/क्रेता द्वारा स्टाम्प विक्रेता श्री ------- से कुल रूपये ------- के स्टाम्प, उसके विक्रय रजिस्टर के क्रमांक ----- दिनांक ----- से क्रय किये गये हैं। इन स्टाम्पों का *मूल्य वर्ग/संख्या* भी अंकित करवाई जावे। उदाहरणार्थ रूपये 5000/4 नग, रूपये 2000/5 नग। यदि दस्तावेज बिना इस सूचना के प्रस्तुत होता है तो प्रस्तुतीकरण के समय, दस्तावेज के अंत में इस सूचना का अंकन करवाया जा सकता है।

बहुत से स्थानों पर उपरोक्तानुसार दस्तावेज में स्टाम्प विक्रेता/रजिस्ट्री क्रमांक/स्टाम्प संख्या वर्ग व कुल स्टाम्प मूल्य लिखने की कार्यवाही की जाती है। अतः उपरोक्तानुसार सभी उप पंजीयक कार्यालय में इस प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

1.3 सभी उप पंजीयक स्टाम्प वैण्डरस व डीड राइटर्स को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करायेगें और माह मई, जून, 2011 में उक्तानुसार अंकन करने हेतु समझाईश करेगें और माह जुलाई, 2011 में कठोरता से इसकी पालना सुनिश्चित करेगें। सभी उप पंजीयक इस संबंध में तत्काल स्टाम्प वैण्डरस डीड राइटर्स आदि को लिखित में इसकी सूचना देगें।

2.0 इसी प्रकार राजस्थान लाईसेंसिंग ऑफ डाक्योमेंट राइटर्स रूल्स 1956 प्रलेख लेखकों को अनुज्ञा-पत्र जारी करने, उनके नवीनीकरण एवं नियम-8 के अनुसार प्रलेख लेखकों को उनके द्वारा ड्राफ्ट कर लिखे/टंकण कराये गये ***दस्तावेज पर दिनांक, स्वयं के हस्ताक्षर व वसूल की गई लिखाई फीस*** का इन्द्राज करने के साथ-साथ नियम-9 के अनुसार ***संधारित रजिस्टर में लिखे गये दस्तावेज को किस क्रमांक पर दर्ज किया गया है,*** का ***अंकन करना आवश्यक है।*** विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र क्रमांक 29/10 दिनांक 7.9.10 जारी कर उक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

विभाग की जानकारी में आया है कि कतिपय उप पंजीयकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करवाई जा रही है, जो कि विभागीय निर्देशों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उप पंजीयक के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

3.0 उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं पाये जाने पर उसके लिए संबंधित उप पंजीयक/उप महानिरीक्षक की जिम्मेदारी निर्धारित करके कार्यवाही की जावेगी।

26/4/11

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान,अजमेर

क्रमांकः एफ-7(108)जन/डीडराइटर्स/11/ 10837-11286 दिनांकः 26-4-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. ए.सी.पी. मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

26/4/11

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर